न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 08/2017

वादी

1. कुन्दनसिंह पुत्र श्री धनसिंह जाति राजपूत निवासी भूती
2. अचलाराम पुत्र मोटारामजी जाति चौधरी निवासी सावरडा
3. तुलसाराम पुत्र गोबररामजी जाति चोधरी निवासी करमावास
4. मकनाराम पुत्र बाबररामजी जाति चौधरी निवासी भूति
5. चैनाराम पुत्र नारायणजी जाति चौधरी निवासी भूमि सभी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. भंवरलाल पुत्र मानारामजी जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्रगत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित :–

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिकवक्ता वादीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी

–::तनकी संख्या 3 निर्णय ::–

दिनांक :– 14/01/19

वादीगण ने न्यायालय हाजा में वादपत्र इस आशय का पेश किया कि मौजा भूति में खसरा संख्या 56 में अवस्थित रही है जो फूलण से भूती जाने वाले कटाण मार्ग की भूमि पर आम ग्रामीणों के आराध्य लोक देवता का छोटा मन्दिर बना हुआ है राज्य सरकार की योजनाओ के अन्तर्गत नाडी की पेवबंदी की हुई है आम ग्रामीणो द्वारा अपने पशुओ को चराने इत्यादि के तौर पर ओरण एव गोचर के रूप में उपयोग उपभोग के रूप में ली जा जा रही है उपरोक्त भूमि भूती कृषि भूमि न होकर आम गोचर ओरण की भूमि है गांवो के पशु चरते है आम ग्रामीण सरक्षण के लिए उपरोक्त वाद पत्र बतौर मुख्या पेश किया जा रहा है राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी द्वारा नाजायाज तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग से आम ग्रामीण की भावना आहत होगी जिस हेतु वादपत्र घोषणा,रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है खसरा संख्या 229/56 रकबा 11.03 बीघा व खसरा संख्या 293/56 रकबा 15.05 बीघा को ओरण गोचर की भूमि घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र का जबाब दावा प्रस्तुत करते हुए अभिवचन किया कि उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में ततसमय में दर्ज रही जो लोककल्याणकारी नीति के तहत अलग–अलग व्यक्तियो को समय समय पर आवटित की गई मोके पर आवटियो का ही नियमित रूप से बतौर मालिक

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

काबिज काश्तवार कब्जा है प्रतिवानी ने सप्रतिफल भूमि खरीद की है वादीगण ने वर्तमान वाद पत्र में अपने व्यक्तितगत हित का कोई अनुतोष नहीं चाहा इसलिए वर्तमान वाद चलने योग्य नही है राजस्व विधि के अन्तर्गत लोकहित वाद को श्रवण का क्षेत्राधिकार श्री राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होन से लोकहित वाद पोषणीय नही है।

दोनो पक्षो की ओर से प्रस्तुत अभिवचनो पर निम्नांकित विवादयक कायम किए गए

1. आया वादीगण भूमि खसरास संख्ख्या 229/56 रकबा 11.03 बीघा खसरा संख्या 293/56 रकबा 15.05 बीघा मौजा भूमि ओरण गोचर की घोषित करवाने के अधिकारी है ?

   जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारने के अधिकार है ?

   जिम्मे वादीगण

3. आया लोकहित वाद का श्रवण का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को नही होने एंव धारा 88 ,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद पोषणीय नहीं होने खारिज होने योग्य है ?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वर्तमान वादपत्र में वादीगण ने अपना व्यक्तिगत हित को कोई अनुतोष नही चाहने से वाद चलने योग्य नही है ?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

5. अनुतोष

विवाद संख्या 3 आया लोकहित वाद का श्रवण का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को नही होने एंव धारा 88 ,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद पोषणीय नहीं होने खारिज होने योग्य है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

विशुद्व रूप से कानूनी विवादयक होने से प्रारम्भिक स्तर सर्व प्रथम तय किया जा रहा है

विवाद संख्या 3 पर उभय पक्षो की बहस सुनी वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहरातेह हुए कथन किया कि वाद पत्र न्यायालय के श्रवण व क्षेत्राधिकार का है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाब दावा में वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं वाद पत्र विधि द्वारा वर्णित होने से खारिज किये जोन योग्य होना बताया । अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 page 204 पेश किया

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

हमने दोनो पक्ष की बहस मनन किया पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज सम्बन्धित विधि का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

वाद पत्र के अवलोकन व अध्ययन से यह ज्ञात हुंआ है कि वाद पत्र में वादीगण ने अपने व्यक्तिगत हित नीहित हो के सम्बन्ध में लेश मात्र कथन वाद पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपनी अधिनिर्णय RRD 1995 page 204 में यह व्यवस्था दी है कि लोकहित वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही होता है ।

उपरोक्त समस्त विवेचन व विधि में प्रतिपादित सिद्वान्तो का अध्ययन करने के बाद गौर हमकारे विनियश्चय अनुसार वाद पत्र वादी विधि द्वारा वर्जित है। अतः तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी के विरूद्व तय कर वाद पत्र न्यायलय में पोषणीय नही होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है

अतः तनकी संख्या 3 के आधार पर वाद पत्र वादी व्यय सहित खारिज किया जाता हैं डिकी पर्चा जारी हो। पक्षकारन अपना–अपना खर्चो स्वंय वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय दिनांक 14.01.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना